वन सुरक्षा के उपाय
(Measure for Protection of Forest)

वन एक महत्वपूर्ण संसाधन एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति है, जिसका संरक्षण आवश्यक है। वन सुरक्षा के निम्नलिखित उपाय हैं—

शासकीय प्रयास (Administrative Measures)—वन संरक्षण के लिए हमारी केन्द्रीय तथा राज्य सरकार पर्याप्त प्राथमिकता दे रही है। वन संरक्षण के लिए जिन शासकीय प्रयासों की आवश्यकता है, वे निम्न प्रकार हैं—

(1) वनों की अवैध कटाई को सख्ती से रोका जाये।

(2) वन क्षेत्रों को आरक्षित किया जाये तथा उन्हें राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित किया जाये।

(3) जनता को ईंधन की लकड़ी के स्थान पर रसोई गैस, सौर ऊर्जा जैसे अन्य ईंधन उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराये जायें।

(4) ऐसे क्षेत्रों में जहाँ कृषि कार्य सम्भव नहीं है, यथोपयुक्त वनों को विकसित करने के प्रयत्न किये जायें।

(5) मृदा-क्षरण को रोकने के उपाय किये जायें।

(6) वन-सम्पदा का समय-समय पर संरक्षण कर वनों की स्थिति पर नजर रखी जाये और इसके अनुसार ही विकल्प तथा संरक्षण की योजनायें बनाई जायें।

(7) वन अनुसन्धान को प्रोत्साहन दिया जाये तथा तीव्रता से वृद्धि करने वाले, कमी पानी सोखने वाले तथा आर्थिक दृष्टि से उपयोगी जातियों के वृक्ष लगाये जायें।

वन-प्रबन्धन
(Management of Forest)

वनों का विकास व संरक्षण जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्त्वपूर्ण वनों का प्रबन्धन या देखभाल करना है। यदि वृक्ष लगा दिया जाये और फिर उनकी देखभाल न की जाये या खेत में बीज डाल दिया जाये फिर उसकी देखभाल न की जाये तो वे नष्ट हो जाते हैं। ठीक यही बात वनों के सम्बन्ध में कही जा सकती है। यदि वन लगा दिये जाये और उनकी समुचित देखभाल न की जाये तथा वर्तमान में जो वन उपलब्ध हैं उनका भी समुचित प्रबन्ध किया जाये तभी परिणाम प्राप्त हो पायेंगे और तभी वनीकरण के कार्यक्रम सफल होंगे। वनों के प्रबन्धन के सम्बन्ध में निम्नलिखित तथ्य ध्यातव्य हैं—

(1) केन्द्र सरकार कारगर तथा स्पष्ट वन-नीति घोषित करे तथा राज्य सरकारें भी केन्द्र सरकार की सहायता से अपनी-अपनी सीमाओं में वन-नीति को व्यावहारिक रूप से क्रियान्वित करें।

(2) वनों की रक्षा तथा रखवाली के लिए वन-विभाग को और व्यापक अधिकार दिये जायें।

(3) वनों में उपुयक्त स्थानों पर निगरानी चौकियाँ (Watching Tower) स्थापित की जायें।

(4) वनों की देखभाल के लिए जीप तथा घोड़ों आदि से सुसज्जित वन रक्षा बनाये जायें जिन पर पर्याप्त मात्रा में आधुनिक हथियार भी हों।

(5) वन काटने की ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जाये तथा वन अधिकारी जिन वृक्षों को परिपक्व घोषित कर दें, वन विभाग उन्हीं वृक्षों को वैज्ञानिक विधि से कटाई करें तथा काटे गये वृक्षों की एवज में नया पौधा आरोपित किया जाये।

(6) "एक के बदले दस" के सिद्धान्त के अनुसार, यदि एक वृक्ष काटा जाये तो उसके बदले में दस पौधे लगाये जायें। इनमें से चार-पाँच मर भी जायें तो चार तो बचेंगे ही।

Scanned by TapScanner

(7) लकड़ी के स्थान पर वैकल्पिक पदार्थों के प्रयोग पर बल दिया जाये तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानों के द्वारा प्लास्टिक तथा ऐसे ही अन्य लकड़ी के विकल्पों की खोज की जाये। लकड़ी के कम-से-कम प्रयोग करने पर बल दिया जाये।

(8) वन क्षेत्रों में आवश्यक स्थलों तथा मार्गों पर अग्नि-अवरोधक पथ निर्मित किये जाये, जिससे वनों में लगने वाली आग को फैलने से रोका जा सके। ये अग्नि-अवरोधक पथ एक प्रकार के खुले रास्ते होते हैं, जो आग को आगे बढ़ने से रोकते हैं।

(9) पशुओं की वन क्षेत्रों में अवैध व वैध चराई को रोका जाये।

(10) वनों की चयनित कटाई व उनके सही रखाव की ओर रखाव विशेष ध्यान दिया जाये।

बाघ सुरक्षा के लिए उपाय
(Measures for Protection of Tiger)

सन् 1970 का वर्ष इस सम्बन्ध में अति महत्त्वपूर्ण रहा, जबकि बाघों की निरन्तर घटती संख्या के कारण उनके शिकार पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। इसी क्रम में भारतीय वन्य जीव मण्डल की अभिशंसा पर 1972 में 'वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम' भी संसद ने पारित किया, जिसमें बाघों की रक्षा, सुरक्षा तथा उनकी देखभाल सम्मिलित थी, परन्तु केवल शिकार पर प्रतिबन्ध तथा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम से बाघों की सुरक्षा सम्भव नहीं हो सकी। इसलिए यह प्रस्ताविक किया गया कि *"पूरे देश में बाघ बहुतायत वाले क्षेत्रों को आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया जाये, जिसमें कुछ क्षेत्र को "कोर क्षेत्र" रखा जाये तथा जहाँ कोई बाहर व्यवधान न हो और इसके बाहर के कुछ क्षेत्र को 'बफर क्षेत्र' के नाम से रखा जाये, जिसकी प्राकृतिक सम्पदा का सुरक्षानुकूल उपयोग भी किया जा सकता हो।"*

बाघ परियोजना और इसके उद्देश्य
(Project Tiger and its Aims)

उपर्युक्त बाघ सुरक्षा हेतु किये उपायों से 'बाघ परियोजना' नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीम 1 अप्रैल, 1973 से प्रारम्भ की गयी तथा इसके मुख्य दो उद्देश्य रखे गये, जो निम्नलिखित हैं—

(1) भारत में वैज्ञानिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिक महत्त्व के लिए बाघों की उपयोगी संख्या का अनुरक्षण सुनिश्चित करना।

(2) ऐसे जैविक महत्त्व के क्षेत्रों का लोगों के हित, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए राष्ट्रीय विकास के रूप में सदैव परीक्षण करना।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु भारत के 13 राज्यों में 21 बाघ रिजर्व स्थापित किये गये, जिनका कुल क्षेत्रफल 30,947 वर्ग किमी. निम्न है। बान्धवगढ़ रिजर्व (म.प्र.) और तदोब अन्धेरी (महाराष्ट्र) क्रमशः 20वें तथा 21वें बाघ रिजर्व है, जो सन् 1993-94 में ही स्थापित हुए हैं।

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972
(Wild Life Conservation Act, 1972)

यह अधिनियम पक्षियों, पशुओं व पौधों के संरक्षण व इससे सम्बन्धित सभी विषयों को यह संरक्षण उपलब्ध कराता है। इसमें सन् 1991 में संशोधन किया गया। इस अधिनियम में निम्नलिखित उद्देश्य शामिल हैं—

(1) पशुओं के शिकार पर प्रतिबन्ध व प्रतिशोध।

(2) विशिष्ट पौधों का संरक्षण।

Scanned by TapScanner

(3) राष्ट्रीय पार्क व अभ्यारण्य का स्थापन व प्रबंधन

(4) चिड़ियाघरों के नियन्त्रण व प्रजनन को लुभाने के साथ चिड़ियाघर अधिकारियों को अधिकार देना।

(8) पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या से सम्बन्धित शोध जाँच को प्रायोजित व जाँच को पूरा करना।

(9) पर्यावरण प्रदूषण पर सूचनाओं का संग्रहण व प्रचार, और

(10) प्रदूषण से सम्बन्धित सैन्यूअरों, कोड या गाइडों को तैयार करना।

Scanned by TapScanner